खंड-3
(Part-III)

- **सल्तनत काल (1200 ई.-1526 ई.)**
- **मुगल काल (1526 ई. के पश्चात्)**

- **राजनीतिक :** 1. राजनीतिक विस्तार (राज्य, साम्राज्य एवं राजवंश)
  2. प्रशासन
- **आर्थिक :** कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्राएँ एवं नगरीकरण
- **सामाजिक :** समाज का क्षैतिज एवं लम्बवत् विभाजन तथा महिलाओं की स्थिति।
- **सांस्कृतिक :** धर्म (भक्ति एवं सूफी), भाषा एवं साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला एवं संगीत।

GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

सल्तनत काल

इस्लाम की स्थापना के काल से ही इस्लाम की सेना हिन्दुस्तान जीतने का निरन्तर प्रयास कर रही थी। इस क्रम में अरब आक्रमणकारियों को 712 ई. में केवल सिंध विजय का अवसर मिला था, आगे उसने उत्तर भारत में विस्तार करना चाहा, तो उसे सफलता नहीं मिली। परन्तु मध्य एशिया से आए हुए तुर्कों ने अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त की। 11वीं सदी के आरम्भ में महमूद गजनी ने पंजाब को आधार बनाकर उत्तर भारत पर निरन्तर आक्रमण किया था, परन्तु उसने उत्तर भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। इसके विपरीत मुहम्मद गोरी ने 1192 ई. में तराईन का द्वितीय युद्ध जीतकर अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार, उत्तर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई।

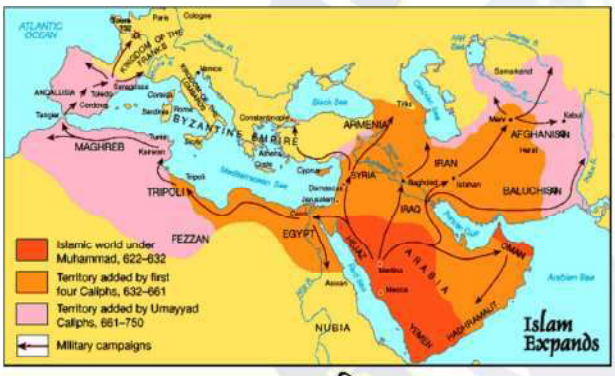

इस्लाम का विस्तार

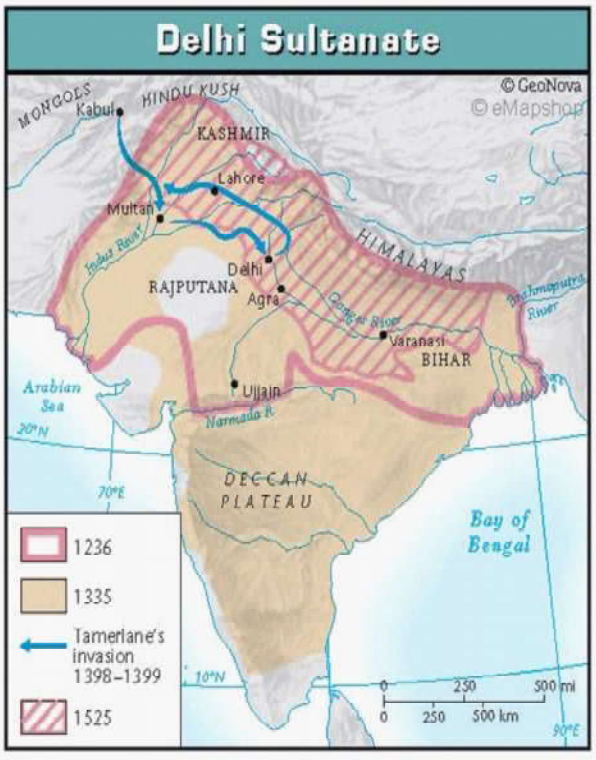

इल्बरी या मामलुक वंश
(1192 ई.-1290 ई.)

इस वंश का संस्थापक मुहम्मद गोरी (1192-1206) था, परन्तु मुहम्मद गोरी की मुख्य दिलचस्पी गजनी एवं गौर क्षेत्र में ही रही। हिन्दुस्तान में वास्तविक प्रशासन का काम उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मुहम्मद गोरी ने 1194 ई. में चंदावर की लड़ाई में जयचंद को पराजित कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। 1206 ई. में मुहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई।

■ **कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.-1210 ई.)**- कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। वह गंगा-यमुना के ऊपरी दोआब में विस्तार का कार्य करता रहा। इसके दरबार में हसन निजामी नामक विद्वान था, जिसने 'ताज-उल-मासिर' नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1210 ई. में उसकी आकस्मिक

मृत्यु हो गई।

■ **इल्तुतमिश (1211 ई.-1236 ई.)**- इसे दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्त्ता माना जाता है क्योंकि इसने न केवल स्वतंत्र हो चुके भारतीय राज्यों को दोबारा जीता, बल्कि इसने प्रशासनिक पुनर्गठन का भी काम किया। इसने 'तुर्क-ए-चहलगानी' नामक संगठन का निर्माण किया, जो 40 अमीरों का संगठन था और उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए गए थे। फिर इसने गंगा-यमुना दोआब के आर्थिक महत्व को समझते हुए वहाँ मुस्लिम जनसंख्या को बसाया। यह पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से शासन करने की खिल्लत प्राप्त की। यह सल्तनत काल का पहला वैधानिक सुल्तान था।

■ **रजिया (1236 ई.-1240ई.)**- रजिया एक योग्य शासिका सिद्ध हुई, परन्तु अमीरों और उलेमाओं की ईर्ष्या के कारण वह अधिक समय तक पद पर नहीं बनी रह सकी और 1240 ई. के कैथल के युद्ध के बाद रजिया की हत्या हो गई।

■ **बहराम शाह (1240-1242ई.)**- इसके काल में 1241 में तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ।

■ **मसूद शाह (1242-1246 ई.)**

■ **नसीरुद्दीन मुहम्मद (1246-1266 ई.)**-यह इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था। इसके काल में वास्तविक शक्ति तुर्क-ए-चहलगनी के एक सदस्य बलबन ने अपने हाथों में ले ली थी। इसके दरबार में 'मिन्हाज-उस-सिराज' नामक लेखक को संरक्षण मिला था जिसने फारसी रचना 'तबकात-ए-नासिरी' लिखी।

■ **बलबन (1266-1286 ई.)**- बलबन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठनकर्त्ता माना जाता है। यद्यपि वह तुर्क-ए-चहलगनी का सदस्य रहा था, फिर भी उसने सुल्तान के पद को मजबूत बनाने के लिए तुर्क-ए-चहलगनी की शक्ति को तोड़ दिया। उसने ही सल्तनत काल में मंगोल नीति की नींव डाली थी तथा मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उत्तर-पश्चिम में दो सुरक्षा पंक्तियाँ बनवाईं।

■ **कैकुबाद (1286-90) :**

बलबन की मृत्यु के पश्चात् उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था। उसके समय में राजनीतिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका लाभ उठाकर समाना के मुक्ती जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।

खिलजी वंश
(1250 ई.-1320 ई.)

■ **जलालुद्दीन खिलजी (1290-96 ई.)**- इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ई. से 1296 ई. के बीच शासन किया था। उसके भतीजे तथा दामाद, अलाउद्दीन खिलजी, ने उसे गद्दी से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया।

■ **अलाउद्दीन खिलजी (1236-1314 ई.)**- इसके सिंहासनारोहण के साथ हिन्दुस्तान में साम्राज्यवाद का युग आरम्भ हुआ। इसके अन्तर्गत जो साम्राज्यवादी विस्तार की प्रक्रिया आरम्भ हुई, वह मुहम्मद-बिन-तुगलक के काल में अपने चरम पर पहुँच गई।

सर्वप्रथम उसने उत्तर भारत में गुजरात (1299 ई.), रणथम्भौर (1301 ई.), चित्तौड़ (1303 ई.), मालवा (1305 ई.) आदि को जीतकर एक साम्राज्य का निर्माण किया। फिर उसने मलिक काफूर नामक सेनापति के नेतृत्व में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान भेजे- पहला सैन्य अभियान 1306-07 ई. में देवगिरी एवं वारंगल के विरुद्ध और दूसरा सैन्य अभियान द्वारसमुद्र एवं पांड्य राज्य के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी इन राज्यों से राजस्व एवं उपहार प्राप्त करता रहा, परन्तु दक्षिण के राज्यों को उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया।

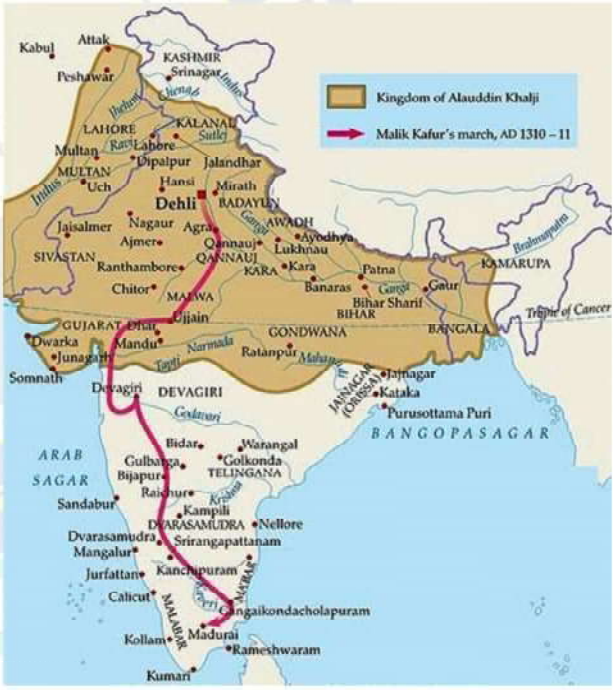

■ **मुबारक शाह खिलजी (1316-1320 ई.)**- मुबारक शाह खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया तथा 'अल-बसिक-बिल्लाह' की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त उसने अलाउद्दीन खिलजी के सीमित विस्तार कि नीति को उलटते हुए देवगिरि को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।

■ **खुसरो शाह (1320 ई.)** - मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के पश्चात् उसके मंत्री खुसरो ने 'खुसरोशाह' के नाम से अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। 1320 ई. में दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने दिल्ली पर आक्रमण कर खुसरो को मार डाला और तुगलक वंश की नींव डाली।

तुगलक वंश
(1320 ई.-1412 ई.)

■ **गयासुद्दीन तुगलक (1320-25 ई.)**- गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक नाम से सुल्तान बना और उसके काल में ही उसके पुत्र जौना खाँ ने 1324 ई. में वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1325 ई. में बंगाल अभियान से लौटते हुए एक दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई।

■ **मुहम्मद-बिन-तुगलक (1325-51 ई.)**- मुहम्मद-बिन-तुगलक का काल इतिहास का एक बड़ा ही विवादास्पद काल रहा है। यद्यपि उसकी सोच प्रगतिशील थी, परन्तु उसकी नीति विफल होती चली गई। इस कारण उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और इसका साम्राज्य विघटित हो गया।

उसने सुदूर दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसने अनेक प्रयोग किए, यथा- राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में प्रगतिशील खेती, खुरासान सैनिक अभियान तथा कराचिल अभियान। उसके सभी प्रयोग क्रमिक रूप से विफल होते चले गए। फिर उसके साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई-

- 1335 ई. में अहसान शाह के नेतृत्व में माबर (मदुरा) राज्य स्वतंत्र।
- 1336 ई. में हरिहर एवं बुक्का के अधीन विजयनगर राज्य स्वतंत्र।
- 1338 ई. में फकरुद्दीन मुबारक शाह के अधीन बंगाल स्वतंत्र।
- 1347 ई. में बहमन शाह के अन्तर्गत बहमनी राज्य स्वतंत्र।

■ **फिरोजशाह तुगलक (1351-1388 ई.)**- फिरोजशाह तुगलक का बल निम्नलिखित नीतियों पर रहा था -

1. उसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, ताकि असन्तुष्ट उलेमाओं को खुश कर सके।
2. उसने राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप दिया।
3. उसने व्यापक निर्माण कार्य पर बल दिया तथा संगीत पर कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया।
4. उसने सिंचाई के विकास के लिए विशेष रूप में कार्य किया तथा यमुना और सतलज से नहर निकलवाई।

■ **फिरोजशाह तुगलक के पश्चात्**

फिरोजशाह तुगलक के बाद कमजोर शासकों का युग आरम्भ हुआ और एक के बाद दूसरे शासक बदलते रहे। इस वंश का अन्तिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। इसी के काल में 1398 ई. में हिन्दुस्तान पर तैमूर का आक्रमण हुआ। इसके बाद उसकी बची हुई प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई और फिर साम्राज्य के विघटन को बल मिला। 1401 ई. तक जाफर खान के नेतृत्व में गुजरात, दिलावर खान के नेतृत्व में मालवा तथा ख्वाजा जहाँ के नेतृत्व में जौनपुर स्वतंत्र हो गए। चूँकि ख्वाजा जहाँ को 'मलिक-उस-शर्क' की उपाधि मिली थी, इसलिए जौनपुर के शासक 'शर्की राजवंश' के कहलाए। 1412 ई. में नसीरुद्दीन महमूह की मृत्यु हो गई। फिर तैमूर के पंजाब स्थित गवर्नर खिज्र खाँ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।

सैय्यद वंश
(1414 ई.-1451 ई.)

इस वंश का संस्थापक तैमूर का एक अधिकारी खिज्र खाँ था। खिज्र खाँ का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ। उसके दरबार में ही याहिया-बिन-अहमद 'सरहिन्दी' नामक लेखक ने 'तारिख-ए-मुबारकशाही' लिखी। इस वंश का अन्तिम शासक आलम खान हुआ, जिसने अपने सेनापति बहलोल लोदी के पक्ष में गद्दी त्याग दी। इस प्रकार लोदी वंश की स्थापना हुई।

लोदी वंश
(1451 ई.-1526 ई.)

यह हिन्दुस्तान में प्रथम अफगान वंश था और इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। उसका उत्तराधिकारी सिकन्दर लोदी (1489-1517 ई.) एक योग्य सुल्तान था। उसने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण के लिए उसने 1504 ई. में आगरा की स्थापना की थी। उसने अपने अमीरों को भी अनुशासित करने का प्रयत्न किया था। वह साहित्यिक जगत में 'गुलरुखी' के नाम से कविता लिखता था।

उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी (1517-1526 ई.) हुआ। उसने अफगान अमीरों को अनुशासित करने का प्रयत्न किया था, अतः उन अमीरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1518 ई. में उसने मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा पर आक्रमण किया, परन्तु खटोली/खतोली के युद्ध में पराजित हो गया। इस

प्रकार, उत्तर भारत पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजपूतों और अफगानों के बीच संघर्ष हो रहा था, तभी बाबर हिन्दुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 1526 ई. में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विरूद्ध लड़ता हुआ वह मारा गया।

गौरतलब है कि, 16वीं शताब्दी का काल उत्तर भारत में राजनीतिक संक्रमण का काल था। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति विकेन्द्रीकृत थी जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए उपयुक्त परिस्थिति होती है। इस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एक केन्द्रीकृत साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब का सूबेदार दौलत खाँ लोदी एवं इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खाँ लोदी उसके इस कार्य को चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। इनके साथ-साथ राजपूत शासक राणा सांगा भी इब्राहिम की सत्ता को चुनौती दे रहा था। इब्राहिम को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ने हेतु दौलत खाँ ने अपने पुत्र दिलावर खाँ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल बाबर के पास भेजा ताकि बाबर दिल्ली से इब्राहिम को हटाकर आलम खाँ लोदी को शासक बना दे। इस घटना का विवरण बाबर स्वयं अपने जीवनी में देता है और कहता है कि "जब मैं काबुल में था तभी आलम खाँ लोदी और राणा सांगा के राजदूत आकर मुझसे मिले।" अत: इस स्थिति से स्पष्ट है कि आपसी राजनीतिक संघर्ष ने सल्तनत की राजनीति में बाबर के प्रवेश को आमंत्रित किया और आगे बाबर ने इब्राहिम को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली।

मुगल काल (1526 ई. के पश्चात्)

बाबर के आक्रमण के समय भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य

■ **बाबर (1526-1530 ई.)**- बाबर 1504 ई. में काबुल विजय करने के बाद निरन्तर हिन्दुस्तान की ओर देख रहा था। 1518 ई. में उसने भीरा के किले को जीता, जिस पर पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। फिर 1525 ई. में उसने पंजाब को जीत लिया। 1526 ई. में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया जिसमें उसने तुलगमा प्रणाली के साथ तोपखाने को जोड़कर युद्ध जीत लिया। फिर 1527 ई. में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित किया। 1528 ई. में उसने अलवर को जीता और 1529 ई. में उसने अफगानों से घग्घर का युद्ध जीता। परन्तु काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय 1530 ई. में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई।

■ **हुमायूँ (1530-1556 ई.)**- हुमायूँ को सिंहासनारोहण के शीघ्र बाद ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे बड़ी चुनौती थी पश्चिमी अफगान एवं पूर्वी अफगान की चुनौती। एक तरफ उसके महत्वाकांक्षी भाई कामरान ने काबुल और कंधार के साथ-साथ लाहौर, पंजाब एवं हिसार-फिरोजा पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ, उसने पूर्वी अफगानों को 1532 ई. के दौराह के युद्ध में पराजित किया। फिर पश्चिमी अफगानों में बहादुर शाह से उसे चुनौती मिली, परन्तु 1534 ई. तक उसने मालवा और गुजरात की विजय की। यद्यपि ये दोनों क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए, परन्तु बहादुर शाह की शक्ति टूट गई।

पूरब में उसे सबसे अधिक चुनौती शेरशाह से मिली। 1539 ई. में चौसा के युद्ध और 1540 ई. में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजित होने के बाद वह ईरान की ओर पलायन कर गया।

ईरान की सहायता से उसने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुन: प्राप्त किया। उसने कामरान से कांधार (1545 ई.) और काबुल (1553 ई.) प्राप्त कर लिया। फिर शेरशाह की मृत्यु के पश्चात् विघटित अफगान साम्राज्य से लाभ उठाकर उसने पंजाब (1555 ई.) तथा दिल्ली और आगरा (1555 ई.) जीत लिया, परन्तु जनवरी 1556 ई. में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई।

■ **अकबर (1556-1605 ई.)**- अकबर, भारत के महानतम शासकों में से एक था। वह न केवल साम्राज्य निर्माता था, अपितु उसने राज्य-नीति को एक पृथक दिशा दी। शासक बनने के शीघ्र बाद उसने बैरम खाँ की सहायता से सर्वप्रथम हेमू के विरूद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता। फिर उसने 1556 ई. और 1560 ई. के बीच अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को जीता।

1562 ई. में उसके द्वारा मेड़ता विजय के पश्चात् अन्य राजपूत राज्य भी समर्पण करने लगे। फिर उसने 1573 ई. में गुजरात, 1575-76 ई. में बिहार, 1585 ई. में काबुल, 1586 ई. में कश्मीर का अधिग्रहण किया। 1601 ई. तक उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार, बालाघाट एवं खानदेश तक तथा पश्चिम में कांधार से लेकर पूरब में बंगाल तक फैल गया था।

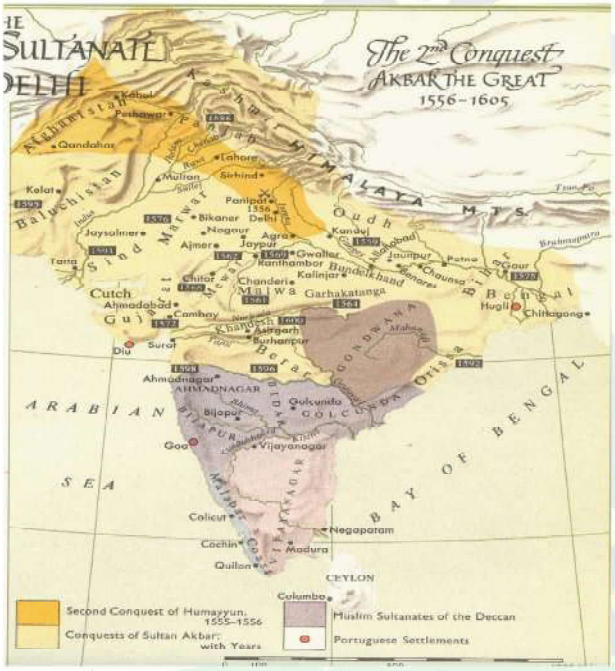

■ **जहाँगीर (1605- 1627 ई.)**- जहाँगीर के काल में कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। दक्षिण में शाहजादा खुर्रम ने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की सेना को पराजित किया इस पर खुश होकर जहाँगीर ने उसे 'शाहजहाँ' की उपाधि दी। जहाँगीर के काल में ही पहली बार सिसोदिया वंश के शासक और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने समर्पण किया था, परंतु 1622 ई. में जहाँगीर के काल में कंधार पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया था।

■ **शाहजहाँ (1628-1658 ई.)**- शाहजहाँ के समय बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने विद्रोह किया था, फिर दक्कन के सूबेदार खान-ए-जहाँ लोदी ने विद्रोह कर दिया। अब शाहजहाँ ने अहमदनगर को जीतने का निर्णय लिया और फिर 1633 ई. में अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया।

यद्यपि एक बार 1638 ई. में शाहजहाँ ने कंधार को प्राप्त कर लिया था, परन्तु 1648 ई. में मुगलों ने अंतिम रूप में कंधार को खो दिया।

■ **औरंगजेब (1659-1707 ई.)**- 1658 ई. में शाहजहाँ की बीमारी का फायदा उठाकर औरंगजेब अपने भाईयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता रहा। फिर 1659 ई. में उसका सिंहासनारोहण हुआ। उसका शासनकाल अत्यधिक विवादास्पद है क्योंकि उसके विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, यथा- जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, अफगान विद्रोह, राजपूत विद्रोह, सिख विद्रोह तथा मराठों के साथ संघर्ष।

सबसे बढ़कर वह दक्षिण में मराठा समस्या में उलझ गया। फिर उसने दूसरी गलती यह की कि दक्षिण में उसने अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया तथा बीजापुर (1686 ई.) एवं गोलकुंडा (1687 ई.) को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने कृष्णा नदी से दक्षिण विस्तार की नीति अपनाई, परन्तु उसकी नीति विनाशक सिद्ध हुई और फिर वह दक्षिण में 25 वर्षों के एक लम्बे संघर्ष में उलझ गया तथा 1707 ई. में उसकी मृत्यु हो गई।

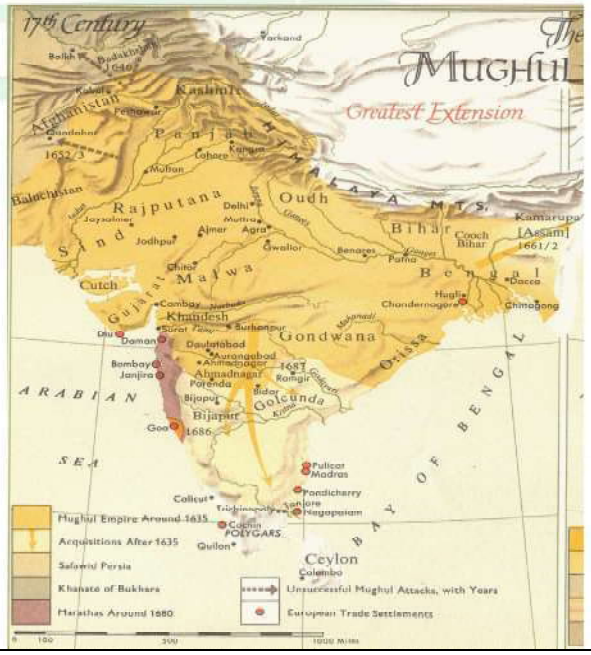

सल्तनतकालीन प्रशासन

■ केन्द्रीय प्रशासन

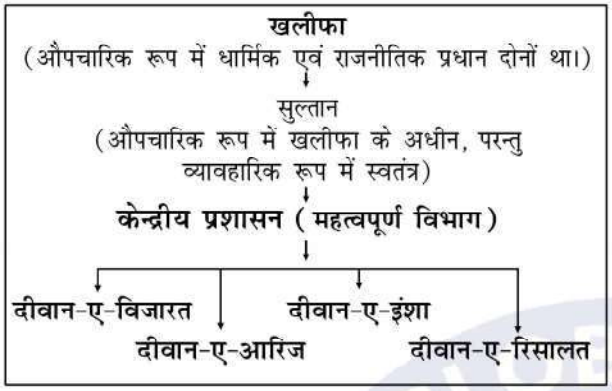

दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मुख्य केन्द्र सुल्तान होता था। सैद्धान्तिक रूप से सुल्तान खलीफा के अधीन होता था, किन्तु व्यावहारिक रूप में वह सिविल, सैनिक तथा न्यायिक मामलों का प्रधान होता था। सुल्तान के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रशासन में बरनी निम्नलिखित चार प्रमुख विभागों की चर्चा करता है-

1. **दीवान-ए-विजारत**- यह विभाग 'वजीर' नामक अधिकारी के अंतर्गत होता था। औपचारिक रूप में वजीर को प्रधानमंत्री की हैसियत प्राप्त होती थी। यह विभाग भू-राजस्व का आकलन एवं अन्य प्रकार के राजस्वों का लेखा-जोखा तथा उनकी वसूली के लिए उत्तरदायी था।

2. **दीवान-ए-आरिज**- चूँकि राज्य की शक्ति का आधार एक सक्षम सैन्य तंत्र था, अतः 'दीवान-ए-आरिज' एक महत्वपूर्ण विभाग था। बलबन ने इस विभाग का गठन किया था। यह विभाग सैनिकों की नियुक्ति, उनका रख-रखाव एवं प्रशिक्षण, तनख्वाह का आबंटन आदि से सम्बद्ध था। यद्यपि मुख्य सेनापति सुल्तान ही होता था और वही युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, किन्तु सुल्तान के बाद 'अर्ज-ए-मुमालिक' ही सैनिक मामलों का प्रधान होता था।

3. **दीवान-ए-इंशा**- यह राजकीय पत्राचार विभाग था। इससे सम्बद्ध अधिकारी 'दबीर-ए-मुमालिक' होता था। यही विभाग विदेशी पत्राचार में मुख्य भूमिका अदा करता था। यह विभाग राजकीय फरमानों को जारी करता था तथा राजकीय आदेश, प्रान्तीय अधिकारियों तक प्रेषित करता था।

4. **दीवान-ए-रिसालत**- यह एक धार्मिक विभाग था, जो विद्वानों को सहायता और अनुदान प्रदान करता था। इसका प्रधान सद्र-उस-सुद्र था। वह धार्मिक आचरणों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई भी करता था। इसी से सम्बद्ध काजी का विभाग भी होता था जो न्यायिक कार्य देखता था। यद्यपि वह न्याय की अन्तिम अपील नहीं था क्योंकि न्याय की अंतिम अपील स्वयं सुल्तान था। अधिकतर स्थिति में काजी और सद्र के पद एक ही व्यक्ति को दिये जाते थे।

■ विभिन्न सुल्तानों के द्वारा समय-समय पर स्थापित विभिन्न विभाग:

1. **दीवान-ए-वकुफ**- इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। यह विभाग दीवान-ए-विजारत के अन्तर्गत कार्य करता था और यह विभाग व्यय के आकलन से सम्बद्ध था।
2. **दीवान-ए-मुस्तखराज**- इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह विभाग भी दीवान-ए-विजारत के अन्तर्गत कार्य करता था और यह बकाया राशि की वसूली से सम्बद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू-राजस्व की वसूली के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिकृत किया था।
3. **दीवान-ए-रियासत**- अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के सफल संचालन के लिए इस विभाग की स्थापना की।
4. **दीवान-ए-कोही**- गंगा-यमुना दोआब में प्रगतिशील खेती के संचालन के लिए मुहम्मद-बिन-तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की। यह विभाग भी दीवान-ए-विजारत के संरक्षण में ही कार्य करता था।
5. **दीवान-ए-खैरात**- निर्धन मुसलमानों को उनकी पुत्री की शादी में अनुदान देने के लिए फिरोजशाह तुगलक के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी।
6. **दीवान-ए-इश्तिहाक**- फिरोजशाह तुगलक के द्वारा वृद्ध जनों की देखभाल के लिए एक पेंशन विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग उसी से संबंधित था।
7. **दीवान-ए-बंदगान**- दासों के रखरखाव के लिए फिरोजशाह तुगलक के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी। उसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।

■ दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ ऐसे अधिकारी, जो किसी विभाग से जुड़े हुए नहीं थे अर्थात् जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया था-

1. **नायब-ए-ममलिकात**- यह सुल्तान के अधीन नायब सुल्तान (उप-सुल्तान) का पद था। सामान्यतः जब सुल्तान की स्थिति कमजोर होती, तो फिर इस पद का सृजन किया जाता था।
2. **सर-ए-जानदार**- यह सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक दल का प्रधान होता था।

3. v ehj& &et fy l & यह राजकीय उत्सव एवं समारोहों से संबद्ध प्रधान अधिकारी था।
4. **मीर-ए-आतिश**- तोपखाने का प्रधान।
5. **बरीद-ए-मुमालिक**- गुप्तचर विभाग का प्रधान।
6. **दीवान-ए-बयुतत**- राजकीय कारखाने का प्रधान।
7. **अमीर-ए-हाजिब**- यह अधिकारी दरबार के अनुशासन एवं अमीरों के पदानुक्रम के निर्धारण से संबद्ध था।

■ **प्रांतीय प्रशासन (इक्ता प्रशासन)**

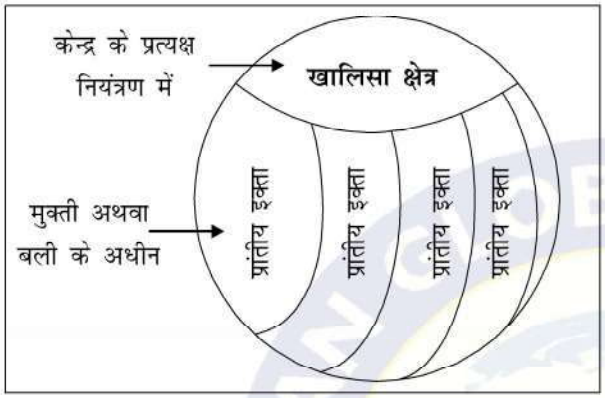

सल्तनत काल में कोई मानक प्रांतीय प्रशासन का विकास नहीं हुआ था, अपितु दूरवर्ती क्षेत्रों से राजस्व के संग्रह के लिए इक्ता व्यवस्था को आरम्भ किया गया था। इक्ता का अर्थ होता है-भूमि खंड। इसे राज्य के द्वारा विभिन्न अमीरों के बीच आबंटित किया जाता था। इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय इल्मुतमिश को दिया जाता है। साम्राज्य को बड़े-बड़े प्रांतीय इक्ता में बाँट दिया जाता था। उसका प्रधान मुक्ती अथवा वली कहलाता था। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह संबंधित क्षेत्र में राजस्व की वसूली करे और उससे अपने प्रशासनिक और सैनिक खर्च को पूरा करे तथा फवाज़िल रकम (बची हुई राशि) को केन्द्रीय खजाने में जमा करा दे। मुक्ती का पद वंशानुगत नहीं होता था तथा स्थानान्तरणीय था।

दूसरी तरफ, खालिसा भूमि, वह भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तान के लिये सुरक्षित रखी जाती थी। खालिसा क्षेत्र का प्रशासन इक्ता प्रणाली से भिन्न होता था। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण सदैव ही शहना, अमीर या मलिक नामक अधिकारी के माध्यम से किया जाता था।

■ **स्थानीय प्रशासन**

स्थानीय प्रशासन
↓
शिक → शिकदार
↓
परगना → चौधरी
↓
ग्राम → मुकद्दम (मुखिया)
→ पटवारी (अर्द्ध-सरकारी अधिकारी)

सल्तनत काल में हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाती, किंतु ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस काल में शिक और परगना जैसी प्रशासनिक इकाईयों का विकास हो गया था। प्रांत का विभाजन शिक में होता था। शिक के ऊपर 'शिकदार' नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। शिक का विभाजन परगनों में होता था और इसके अधिकारी के रूप में 'चौधरी' का जिक्र मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी। गाँव का शासन कार्य चलाने के लिये मुकद्दम अथवा मुखिया होते थे। उसके सहयोग के लिए एक अर्द्ध-सरकारी अधिकारी, 'पटवारी' की नियुक्ति की जाती थी जिसके पास भूमि के कागजात होते थे।

मुगलकालीन प्रशासन

■ **केन्द्रीय प्रशासन**

मुगलकालीन प्रशासनिक संरचना
↓
बादशाह अथवा पादशाह
↓
केन्द्रीय विभाग
↓
वकील अथवा वजीर (सम्मानजनक पद) | दीवान-ए-आला अथवा दीवान-ए-कुल | मीर बख्शी | मीर-ए-समां अथवा खान-ए-समां | सद्र-उस-सुद्र

सल्तनत काल से मुगल काल तक प्रशासनिक संरचना में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्व दृष्टिगत होते हैं। सल्तनत काल में फारसी संस्थाओं को देशी परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया। मुगल काल में प्रचलित संस्थाओं में सुधार लाकर उन्हें एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया। मुगल प्रशासनिक ढाँचे की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ थीं- प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक और संतुलन अर्थात् केंद्रीय प्रशासन में विभिन्न विभाग एक-दूसरे पर रोक और संतुलन स्थापित करते थे।

प्रशासन के शीर्ष पर बादशाह होता था। व्यवहार में वह अक्षुण्ण शक्ति का उपयोग करता था, वही राज्य का अंतिम कानून निर्माता, शासन व्यवस्थापक, न्यायाधीश और सेनापति था। मुगल काल में निम्नांकित विभाग कार्यरत थे–

1. **वकील या वजीर**- मध्य एशियाई तथा तैमूरी परंपरा में वकील को अत्यधिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह सरकार की विभिन्न शाखाओं, जिनमें राजस्व विभाग एवं सेना विभाग भी शामिल थे, निगरानी करता था। फिर आगे वकील के पद पर बैरम खाँ की नियुक्ति के साथ वकील की शक्ति और भी बढ़ गई। परंतु बैरम खाँ के विद्रोह के पश्चात् इस पद की महत्ता घटने लगी तथा यह पद औपचारिक रूप से बना तो रहा, परंतु इसकी शक्ति सीमित हो गई।

2. **दीवान-ए-आला या दीवान-ए-कुल**- वकील (वजीर) से वित्तीय शक्तियाँ वापस लेकर इस विभाग की स्थापना की गई थी। यह राजस्व निर्धारण, राजस्व की वसूली तथा आय-व्यय के ब्यौरे से संबद्ध विभाग था। राजकीय कोष का निरीक्षण तथा लेखा संबंधी जाँच करना उसका प्राथमिक कार्य था। वह प्रत्येक विभाग में होने वाले सभी लेन-देन एवं भुगतानों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। उसके अनुमोदन के बिना नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी कोई नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। दीवान के पद के महत्व को कम करने के लिये एक से अधिक दीवान की नियुक्ति की जाती थी, ताकि वे एक-दूसरे पर उचित रोक और संतुलन स्थापित कर सकें।

3. **मीर बख्शी**- मुगलकालीन केन्द्रीय प्रशासन का तीसरा महत्त्वपूर्ण विभाग मीर बख्शी का विभाग था। सल्तनत काल में भी यह विभाग मौजूद था, परंतु यह 'दीवान-ए-अर्ज' के नाम से जाना जाता था। मीर बख्शी साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी होता था। वह साम्राज्य के सभी सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को भुगतान करता था। वह मनसबदारों की नियुक्ति के लिये सिफारिश तथा उनके लिये जागीर की अनुशंसा करता था, जबकि जागीर देने का काम बादशाह की स्वीकृति के बाद दीवान-ए-आला करता था। इस प्रकार रोक एवं संतुलन के द्वारा दोनों एक-दूसरे को नियंत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों के दाग तथा सैनिकों की उपस्थिति की जाँच करता था। मीर बख्शी सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधी सभी मामले रखता था।

4. **मीर-ए-समाँ अथवा खान-ए-समाँ**- सल्तनत काल में राजघराने की देख-रेख के लिए ऐसा कोई अलग विभाग नहीं था, परंतु मुगल काल में शाही हरम के प्रधान मीर-ए-समाँ को एक अलग विभाग का प्रधान माना जाता था। मीर-ए-समाँ अथवा खान-ए-समाँ राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। राजकीय महल की वस्तुओं की खरीद एवं उसके भंडारण की जिम्मेदारी भी उसी की थी। इसके अतिरिक्त, युद्ध के अस्त्र से लेकर विलास की वस्तुओं तक के उत्पादन का निरीक्षण करना भी उसका उत्तरदायित्व था। इस पद पर रोक एवं संतुलन स्थापित करने की उचित व्यवस्था की गई थी। उदाहरण के लिए, इस विभाग के द्वारा प्रस्तुत लेख, परीक्षण के लिए दीवान के विभाग में भी भेज दिया जाता था।

5. **सद्र-उस-सुद्र** - केंद्रीय प्रशासन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विभाग सद्र-उस-सुद्र का विभाग था। सद्र-उस-सुद्र धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। यह बादशाह का मुख्य धार्मिक परामर्शदाता होता था। इसका मुख्य कार्य शरीयत के कानून का संरक्षण था। धार्मिक अनुदान का वितरण करना भी उसी के जिम्मे था। यह धार्मिक मामलों से संबंधित मुकद्दमे भी देखता था।

■ प्रांतीय प्रशासन

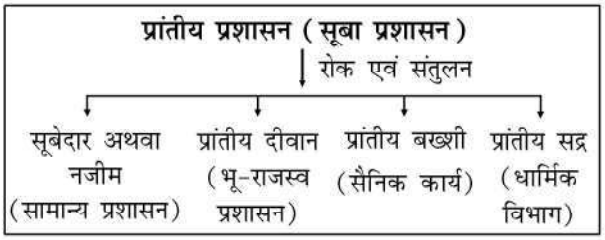

मुगल काल में व्यवस्थित रूप में प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत हुई। इसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को बारह सूबों में विभाजित किया था जो उसके शासन काल के अंत तक बढ़कर पंद्रह हो गए। अकबर की प्रशासनिक नीति दो सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थी- प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक एवं संतुलन।

1. **सूबेदार अथवा नजीम**- प्रांतीय प्रशासन, केन्द्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख नजीम, सूबेदार अथवा सरसूबा होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट की आज्ञा से केन्द्रीय दीवान की अनुशंसा पर 3 वर्षों के लिए होती थी। वह प्रांतीय सेना का सेनापति था। वह कानून-व्यवस्था को बनाए रखने, सामान्य प्रशासन तथा प्रजा के कल्याण के लिए भी उत्तरदायी था।

2. **प्रांतीय दीवान**- केन्द्रीय दीवान की अनुशंसा पर बादशाह प्रांतीय दीवान की नियुक्ति करता था। वह एक स्वतंत्र अधिकारी था तथा सीधा केंद्र के प्रति उत्तरदायी था। वह सूबे के राजस्व विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय दीवान, सूबे से की गयी राजस्व की वसूली का निरीक्षण करता था। वह सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि का पूरा ब्यौरा एवं अन्य व्यय संबंधी विवरण भी रखता था। इस प्रकार दीवान को सूबेदार से अलग करके तथा दीवान के हाथों में वित्तीय मामलों को देकर मुगल शासक सूबेदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने में सक्षम हुए।

3. **प्रान्तीय बख्शी**- केन्द्रीय बख्शी की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति होती थी। वह केंद्र में कार्य कर रहे मीर बख्शी के समान प्रांतों में सेना की देखरेख करता था। वह सूबे में मनसबदारों द्वारा रखे गए घोड़ों और सैनिकों की जाँच और निरीक्षण करता था। वह मनसबदारों और सैनिकों का वेतन-पत्र जारी करता था। वह गुप्तचर सेवा का प्रधान भी होता था तथा साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित कतिपय संवेदनशील सूचना सीधा मीर बख्शी को प्रेषित करता था।

4. **प्रांतीय सद्र**- केंद्रीय सद्र के मॉडल पर प्रांत में भी एक सद्र के पद को स्थापित किया गया। सद्र आलिम फाजिलों के लिए अनुदानों की सिफारिश करता था तथा वह न्याय विभाग का भी प्रधान था।

■ स्थानीय प्रशासन

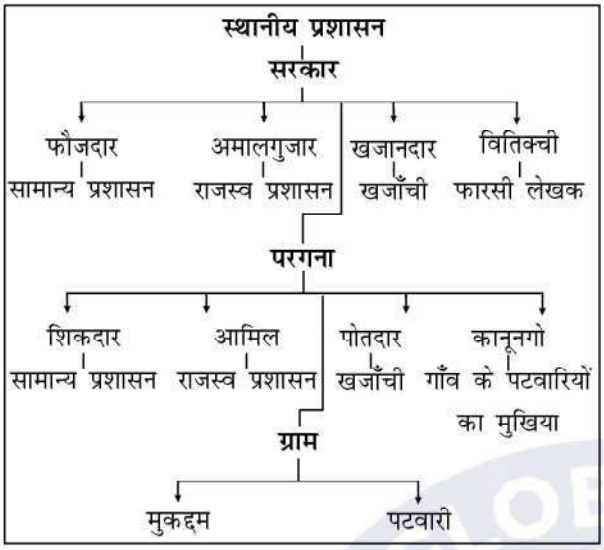

सरकार- प्रांत से नीचे की इकाई सरकार थी। सरकार स्तर पर प्रमुख अधिकारी थे- फौजदार, अमालगुजार, खजानदार एवं वितिक्ची।

- **फौजदार**- स्थानीय प्रशासन में फौजदार को मुगल साम्राज्य का सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। फौजदार सरकार का कार्यकारी प्रधान होता था। उसका दायित्व मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, किंतु वह राजस्व की उगाही में आमिल या अमालगुजार की सहायता भी करता था। वह स्थानीय फौजों का भी निरीक्षण करता था। कभी-कभी एक सरकार में कई फौजदार होते थे और कभी-कभी दो सरकारों पर एक ही फौजदार की नियुक्ति होती थी।
- **अमालगुजार**- फौजदार के बाद सरकार में अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारी अमालगुजार था। अमालगुजार सर्वप्रमुख राजस्व समाहर्त्ता था। उसका मुख्य कार्य अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से राजस्व वसूली का निर्धारण और निरीक्षण करना था। एक अच्छे अमालगुजार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करे और किसानों को बिना जोर-जबरदस्ती के राजस्व देने के लिए प्रेरित करे। सभी प्रकार के लेखा की देखरेख भी उसके जिम्मे थी। वह प्रतिदिन की वसूली तथा व्यय का ब्यौरा प्रांतीय दीवान को भेजता था। अमालगुजार के अंतर्गत दो अन्य अधिकारी होते थे- वितिक्ची तथा खजानदार। 'वितिक्ची' एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है 'लेखक'।

परगना- सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई परगना थी। परगना से जुड़े निम्नलिखित अधिकारी थे-

- **शिकदार**- परगना का कार्यकारी अधिकारी शिकदार था। यह कानून व्यवस्था का संरक्षक था तथा भू-राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था।
- **आमिल**- यह भू-राजस्व प्रशासन से जुड़ा था।
- **पोतदार**- खजाँची
- **कानूनगो**- यह गाँव के पटवारियों का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। अपने क्षेत्र से संबंधित भूमि का लेखा-जोखा कानूनगो अपने पास रखता था। अबुल फज़ल के अनुसार कानूनगो किसानों का आश्रयदाता था क्योंकि वही फसलों और लोगों इत्यादि का पूरा विवरण रखता था।

ग्राम प्रशासन- प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। इससे जुड़े हुए अधिकारी, मुकद्दम तथा पटवारी थे। मुकद्दम गाँव का मुखिया था, जबकि पटवारी ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा-जोखा रखता था। मुगल काल में ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी तथा यह मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से स्वतंत्र इकाई थी।

मनसबदारी व्यवस्था

'मनसब' फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है 'पद'। अकबर ने यह पद्धति अपने शासन के 19वें वर्ष अर्थात् 1575 ई. में लागू की। मनसबदारी पद्धति को मुगल प्रशासन का इस्पाती ढाँचा करार दिया जा सकता है। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी तथा सैन्य अधिकारी सभी को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया। मनसबदारी पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था- जात और सवार। उदाहरण के लिए-

जात रैंक/सवार रैंक

5000/5000

4000/3000

3000/1000

पहली संख्या (जात) से मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन और पदानुक्रम में उसकी हैसियत और स्थान निर्धारित होता था। दूसरी संख्या (सवार) से मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी और इस सेना के रख-रखाव के लिए देय राशि तय की जाती थी।

- अबुल फज़ल के अनुसार, मनसबदारों के कुल 66 ग्रेड थे जो 10 से लेकर 10 हजार के बीच होते थे, परन्तु व्यवहार में केवल 33 ग्रेड थे।
- सामान्यत: 5000 जात रैंक से अधिक मनसबदारी नहीं दी जाती थी। केवल रक्त संबंध के लोग और कुछ महत्वपूर्ण अमीर इसके अपवाद थे। उदाहरण के लिए, अकबर के काल में राजपूत मनसबदार राजा मानसिंह तथा औरंगजेब के काल में सवाई जयसिंह और जसवंत सिंह को सात हजार जात एवं सवार रैंक की मनसबदारी प्राप्त हुई।
- सामान्य तौर पर सवार रैंक, जात रैंक से अधिक नहीं हो सकती थी, परंतु विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव था।

- यद्यपि कुछ मनसबदारों को नकद में वेतन दिया जाता था और वे मनसबदार नकदी मनसबदार कहलाते थे, परंतु बड़े मनसबदारों का वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। इसे 'जागीर-ए-तनख्वाह' के नाम से जाना जाता था। जागीर-ए-तनख्वाह भूमि का आवंटन नहीं, अपितु राजस्व का आवंटन था।

■ **जागीर के प्रकार-**

1. **जागीर-ए-तनख्वाह**- यह सबसे प्रचलित जागीर थी जो मनसबदारों को दी जाती थी। इसमें जात रैंक एवं सवार रैंक के आधार पर किसी मनसबदार की वार्षिक तनख्वाह का निर्धारण होता था। फिर उन्हें उतनी आय की जागीर तनख्वाह के रूप में दी जाती थी।
2. **वतन जागीर**- यह जागीर राजपूत मनसबदार को वंशानुगत रूप में दी जाती थी। वतन जागीर स्वयं उन राजपूत शासकों का अपना क्षेत्र होता था जिस पर राज्य उनका नियंत्रण स्वीकार कर लेता था।
3. **मशरूत जागीर**- यह एक प्रकार की सशर्त जागीर होती थी जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए मनसबदार को दी जाती थी, किंतु कार्य पूरा होते ही उसे वापस ले लिया जाता था। इसके माध्यम से अतिरिक्त घुड़सवारों का खर्च पूरा किया जाता था।
4. **अल्तमग्गा जागीर**- यह जागीर वतन जागीर के ही मॉडल पर मुस्लिम मनसबदारों को दी जाती थी।

- **दो अस्पा-सिह अस्पा पद्धति**- यह पद्धति जहाँगीर के काल में आरंभ हुई। इस पद्धति के तहत किसी मनसबदार के जात रैंक को बढ़ाए बिना उसके अधीन सवारों की संख्या दोगुनी (दो अस्पा) अथवा तिगुनी (सिह-अस्पा) की जा सकती थी। इसका उद्देश्य जात रैंक में परिवर्तन के बिना ही कुछ महत्वपूर्ण मनसबदारों की सेवा प्राप्त करना था।

■ **इक्तादारी पद्धति एवं जागीरदारी/मनसबदारी पद्धति में अंतर**- इक्तादारी पद्धति में मुक्ती को पहले इक्ता प्रदान किया जाता था, फिर उन्हें दायित्व दिया जाता था और उसी के अनुरूप उनकी तनख्वाह निर्धारित की जाती थी। परंतु जागीरदारी पद्धति में पहले मनसबदार का दायित्व निर्धारित किया जाता था और उसी के अनुरूप उनकी तनख्वाह का निर्धारण होता था तथा उन्हें जागीर दी जाती थी अर्थात् जागीरदारी व्यवस्था में फ़वाजिल की गुंजाइश नहीं थी। दूसरे, इक्ता व्यवस्था में मुक्ती को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु जागीरदारी व्यवस्था में प्रशासन का दायित्व राज्य के अंतर्गत था तथा जागीरदार को केवल अपनी जागीर से राजस्व वसूल करने का अधिकार था।

■ **जागीरदार व जमींदार में अंतर**- जैसा कि हम जानते हैं कि मनसबदार/जागीरदार सरकारी अधिकारी होते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती थी तथा राज्य से उन्हें तनख्वाह प्राप्त होती थी। यह तनख्वाह प्राय: जागीर में दी जाती थी। जागीर में राजस्व हस्तांतरण होता था। दूसरे शब्दों में, जागीर के अंतर्गत कई गाँव का राजस्व शामिल होता था।

ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार भी होते थे जो पुश्तैनी होते थे और मुगल साम्राज्य से पहले से चले आ रहे थे। वे किसानों के उत्पादन के एक भाग पर पुश्तैनी रूप में अपना दावा रखते थे। मुगल साम्राज्य ने उन्हें अनुशासित करने का प्रयत्न किया। उन्हें भू-राजस्व संग्रह से भी जोड़ा तथा उत्पादन का एक अंश (कुल उत्पादन का लगभग 10%) 'नानकर' के रूप में स्वीकार किया। परंतु राज्य ने इस बात का भी ध्यान रखा कि वे ज्यादा शक्तिशाली न हों तथा राज्य के लिए समस्या पैदा न करें। इन जमीदारों की गतिविधियों पर फौजदार व जागीरदार दोनों नजर रखते थे।

■■■